रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 1972/वैशाख 22, 1894
No. 107] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 1972/VAISAKHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th May 1972

SUBJECT.—*Licensing conditions for the U.K./India Capital Investment Loan,* 1972 *dated 17th March,* 1972.

No. 68-ITC(PN)/72.—The terms and conditions governing the issuance of import licences against the U.K./India Capital Investment Loan 1972 dated 17th March, 1972 as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information of the trade.

APPENDIX

Licensing conditions for the U.K./India Capital Investment Loan 1972, *dated* 17*th March,* 1972.

I. General Conditions

The import licence will bear the superscription "UK/India Capital Investment Loan 1972". In addition to the licence number, it should bear the allocation number in the manner detailed in paragraph 2, and these allocation will relate to one of the segments below:—

'A' *Segment*—(£5½ *million private sector segment*)

Whether the licence is issued in favour of a private sector unit on the basis of clerance accorded by the Capital Goods Committee.

'B' *Segment*—(£5½ *million public sector segment*)

Whether the licence is issued on the basis of sanction issued by the Administrative Ministry on the basis of clearance of foreign exchange accorded by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi in favour of public sector units or departmental undertakings of Central or State Governments.

'C' *Segment*—(£ 1 *million NSIC segment*)

Where the licence is issued to the National Small Industries Corporation of India (NSIC) in the basis of clearance accorded by the Capital Goods Committee or S.S.I. Committee.

2. **Identification Suffix.**—Each allocation under the "UK/India Capital Investment Loan 1972" will bear an identification suffix—the symbol 'CIL' indicating the loan; followed by a letter showing the segment of the loan ('A' for the private sector; 'B' for the public sector segment, and 'C' for the NSIC segment); followed by a number indicating the year in which the allocation is made; and followed by an allocation number, for example—

CIL/A/72/14(GOI)

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation.

In cases of allocations made with the prior approval of the U.K. Government or in the case of NSIC, the symbol (GOI) will not appear in the identification suffix.

One Allocation—Multiple licences.—As there may be more than one licence against each allocation, the licensing authorities will ensure at the time of issue of the import licence that each licence pertaining to an allocation will bear a further identification mark, for example—

CIL/A/72/14(GOI)-1

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation—serial number of licence.

CIL/A/72/14(GOI)-2

One Licence—Multiple contracts.—As there may be more than one purchase order/contract against an import licence, it is the responsibility of the licensee to ensure that each order under an import licence is given a further identification mark (1), (2) etc. e.g.

CIL/A/72/14 (GOI-I(1)

i.e. Loan/Segment/Year/ serial number of allocation—serial number of import licence against the allocation (serial number of order against the import licence)

CIL/A/72/14(GOI)-1(2) etc. etc.

Similarly for orders against the second licence against this allocation:

CIL/A/72/14(GOI)-2)1)

CIL/A/72/14(GOI)-2(2) etc. etc.

3. **Mode of Payment.**—Payments to the suppliers can be arranged through normal baning channel by establishing letters of credit, *but a special authorisation for doing so should be obtained from the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi* in the manner detailed in Section IV below. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments, however will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

4. **Validity period.**—The licence will be issued with an initial validity period of 12 months. Firm orders on C.I.F.or C. & F: basis must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within first four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority within the four months' period or immediately thereafter, giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period of ordering as

necessary. Such requests will be considered on merits by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi in consultation with the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs), New Delhi, wherever necessary.

5. **Placement of Orders.**—It should be noted that unless ordering is complete within four months or the extended period allowed by the licensing authority, and the special authorisation (as indicated in paragraph 3 above) is obtained, the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credit.

6. **Basis of Orders—Cash.**—Orders should be placed on cash basis and all payments must be completed within a month of the expiry of the licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facilities of any kind will be permitted.

II. **Special points to be incorporated in the Orders/Contracts or otherwise kept in view**

1. While placing orders/contracts which must be placed only on the suppliers in the U.K. (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the United Kingdom. When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must smilarly be ensured by a suitable provision therein, that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

2. **Responsibility of the importer to ensure minimum U.K. content.**—It should be particularly noted that the U.K. supplier/contractor will have to sign a contract certificate as provided in Section III below, indicating the non-U.K. content, if any, of the goods to be supplied, or in the case of chemicals and allied products declare them to be of U.K. origin.

If the non-U.K. element is likely to exceed 20 per cent of the F.O.B. value of the contract, it should be brought to the notice of the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affars, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi and firm commitment should be entered into only if the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance agree.

3. The documentation requirements mentioned in Sections III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. **Notification of contracts and amendments thereto.**

1. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward three copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by two copies of the 'Contract Certificate' (in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate) duly signed by the supplier, to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi.

2. While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the credit are clearly noted in the documents. The licensee must give the identification suffix in each of the contracts against an import licence. *For example* if the identification suffix of the import licence is CIL/A/72/14(GOI)-1, the identification number for the first contract under this licence should be CIL/A/72/14(GOI)-1(1), for the second contract against this licence should be CIL/A72/14/(GOI)-1(2), etc. and the licensee while forwarding the contracts to the Ministry of Finance, must give the relevant details of the number of contracts placed under the relevant import licence to date. The importer will be solely responsible for the accuracy of these details.

3. If at any time a contract is amended or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should within a fortnight of the date of the amendment of the contract, forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and the revised 'Contract Certificate' to the Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the U.K. Government.

4. If, in any case, the contract is with the Indian Agent of the U.K. supplier, it should indicate the name of the U.K. supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract which alone will qualify for payment under the loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with U.K. suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. **Payment to U.K. suppliers—letter of credit procedure.**

1. The licensee should apply to the Controller of Aid Accounts (Economic Aid Accounts Branch), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi, for a *letter of authorisation* to any of the Exchange Bank in India for opening a leter of credit in favour of the U.K. suppliers with one of the correspondent banks in the U.K.

2. The request for the letter of authorisation should be in the form given in Annexure III and should be accompanied by a copy of the firm order and a contract certificate completed by the United Kingdom supplier, the latter to be in the form set out at Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate).

3. If the application is found to be in order, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue an authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian Exchange Bank concerned. The authorisation order of the Ministry of Finance will also refer to the identification suffix of the purchase order e.g. CIL/A/72/14(GOI)-1(1). The identification suffix should also figure in the letter of credit to be opened and in all the documents to be furnished under the letter of credit. The Ministry of Finance will also advise the U.K. Bank concerned. The advice to the U.K. Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned along with their copy of the authorisation letter who should transmit it to the U.K. Bank while opening the Letter of Credit.

4. The Letter of Credit should be opened within a month from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authorisation will lapse. The Letter of Credit should detail the conditions to which the licence is subject, should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below, should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the condition that the correspondent banks in the U.K. would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the bank in India on which the letter of credit was opened. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

5. The Letter of Credit should be clearly marked with the Loan title, allocation number and other particulars viz., serial number of import licence under the given allocation and the serial number of the contract pertaining to the import licence etc. etc. as indicated in the letter of authorisation.

V. **Documentation.**

1. The importer is responsible to see that the U.K. supplier completes and submits the documents detailed below to the U.K. Bank at the time of claiming payment for the goods supplied:—

(i) The original invoice with four photo copies or copies by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed described of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C&F or CIF) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of Ocean or charter-party bill of lading or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid).

(iii) Four copies of the payment certificate in the form given in Annexure IV (not required in respect of contracts for which contract certificate (chemicals) in the form given in Annexure II(B) has been provided). For this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

(iv) Three copies of the contract certificate prescribed in Annexure II or Annexure II(B).

Each document must show the loan title, identification suffix, details of import licence, and the particulars of the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance.

2. While opening Letter of Credit, the authorised Exchange Bank in India will on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the U.K. suppliers.

3. After the payment is made to the suppliers, the correspondent bank in the U.K. will send by air mail the original negotiable set of documents to the Indian Bank concerned. The Indian Bank will reimburse the U.K. Bank by remittance the payments made by it to the U.K. suppliers, along with the Bank charges. The recovery of corresponding rupee equivalent by the Indian Bank from the importer for such foreign exchange remittances will be as per arrangements agreed to between them. The U.K. Bank should also send a non-negotiable copy of the completed payment certificate to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department, of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi.

VI. Indian Bank's responsibility to enable the Government of India to obtain Reimbursement under the U.K. Loan.

After reimbursing the U.K. Bank of the sterling payments made by it to the U.K. suppliers along with the bank charges, the Indian Bank should within the next 10 days send the necessary documents to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi to enable the Government of India to obtain the necessary reimbursement under the U.K. Loan. The documents to be furnished are:—

(i) *Contract certificate.*—in the form of Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate) duly signed by the U.K. supplier, and a copy of the relevant letter of credit.

(ii) *Payment Certificate.*—in the form given in Annexure IV, duly signed by the U.K. supplier.

(iii) The invoice and Bills of Lading as mentioned in Section V. Where there is more than one payment to be made to the U.K. supplier under a contract, the Contract Certificate and a copy of the letter of credit need to be supplied only for first payment and for the subsequent payments only the payment certificate and invoices need to be sent to the Ministry of Finance, but the identification suffix in the relevant contract certificate and the letter of credit should be quoted.

VII. Reports on the utilisation of the Import Licence.

A monthly report, in the form attached as Annexure V showing the utilisation status of the licence, should be furnished on or before the 7th of each month to (i) the Controller of Aid Accounts, (Economic Aid Accounts Branch) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building,

10-Parliament Street, New Delhi, (ii) Shri C. L. Grover, Deputy Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block Secretariat, New Delhi and (iii) to the Ministry of Industrial Development, Capital Goods Committee Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

VIII. **Miscellaneous.**

1. **Notifying Suppliers of Special Conditions.**—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

2. **Refund from U.K. Suppliers.**—If any refunds are received by the licensee from the supplier, the shipper or the insurer, a full report showing the amount received, together with other relevant particulars, should be sent to the Ministry of Finance at the address indicated in Section VI above, as and when such refunds are received. The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure VI.

3. **Disputes.**—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers or any liabilities as such between the licensee and the suppliers.

4. **Further Instructions.**—The licensee should promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

5. **Breach or Violation.**—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Import and Export (Control) Act.

IX. **List of Annexures by title.**

Annexure I—Notification of Contract.

Annexure II—Contract Certificate.

Annexure II(B)—Contract Certificate (Chemicals).

Annexure III—Form of Application for Letter of Credit Authorisation.

Annexure IV—Payment Certificate.

Annexure V.—Monthly Report on Ordering and Utilisation of Import Licence.

Annexure VI—Report on refunds received.

ANNEXURE I

UK|INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1972

NOTIFICATION OF CONTRACT

To

The Crown Agents

Notification of Contract No.————

The following are details of the contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above Loan.

1. Name and address of United Kingdom Contractor,
2. Date of Contract.
3. Name of Purchaser.
4. Short description of goods— and/or works or services.
5. Value of Contract: £
6. Terms of payment.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

ANNEXURE II

UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1972

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of Contract

Indian Import Licence No. ———— Identification Suffix No. ————

1. Date of Contract ———— 2. Contract No. ————

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser————

(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) £.——

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWED SECTIONS MUST BE COMPLETED:

(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer).

5. Estimated % of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.

(a) % FOB value————

(b) Description of items and brief specification————

6. If any raw material or components used originated from abroad, e.g. copper, asbestos, cotton, wood plup, etc. but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:—

(a) % FOB value————

(b) Description of items and brief specifications————

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by:—

(a) Your firm (site engineers charges, etc.)————

(b) Local contractor————

8. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 5, 6 or 7 above—

9. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the contractor other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

Signed————

Position held————

Name Address of Contractor————

Date:————

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE II(B)

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1972

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract ——— Contract No. ———Indian Import Licence No. ——— Dated ———Identification Suffix No. ———

2. Description of Product(s) to be supplied to Purchaser: (Note 'A')	£ Price	U.K. Tariff Classification No. (Note 'B')	Is the product of U.K. origin? (see note 'C') State 'Yes' or 'No'

3. Total (estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling £———

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information in correct.

Signed———

Position held———

Name & Address of the Contractor

Date———

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapters 16, 25, 28—35 and 37—40 of the U. K. Tariff.

B. SEE.—(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C. (i) A product is regarded as of 'UK origin' if made either wholly from indigenous UK materials OR according to the appropriate 'EFTA' qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the EFTA Compendium for the Use of Exporters' HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasized that the "alternative percentage criterion" DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) DOES NOT APPLY.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Crown Agents, CS4 Department, 4 Mill Bank, London SW 1.

D. For the purpose of this declaration, the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

To

The Controller of Aid Accounts,
(Economic Aid Accounts Branch)
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
10-Parliament Street,
New Delhi.

SUBJECT—Import of————————————from U. K.

under UK/India Capital Investment Loan, 1972.

Sir,

In connection with the import of ————————————from U.K. against the above UK Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

1. (a) Particulars of Import Licence:

No. & date	Value (Rs.)	Date upto which valid

(b) The Allocation No. as given in the import licence.

(c) No. of contracts placed under the import licence so far.

(d) The serial number of the contract to which this application relates.

2. Sterling value of licence.
(Calculate at £ 1 per Rs. 18.968).

3. Sterling value of the order placed for which authorisation is required specifying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount(s) of authorisations required separately against each supplier (copy of orders placed and UK Suppliers' acceptance thereof to be attached).

4. Name of the Indian Bank which will open Letter of Credit.

5. Name of UK correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

Yours faithfully,

Signature of the Licensee and full Address:

ANNEXURE IV

United Kingdom/India Capital Investment Loan, 1972

'PAYMENT CERTIFICATE'

Indian Import Licence No. —————

Identification Suffix No.

I hereby certify that:

(i) the payment referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No. ————— dated —————between the contractor named below and ————— (Purchaser) ————— and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on —————

Contractor's invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods works and/or services.

(ii) The amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the contractor named below.

Signed —————

Position held —————

For and on behalf of —————

Name and address of contractor —————

Date —————

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE V

Form of Utilisation Report in respect of ——————————

United Kingdom/India Capital Investment Loan, 1972.

(To be furnished separately in respect of each import licence)
(Where there are more than one contract against an import licence, the information should be given in respect of each contract, separately)

Identification suffix ——————————

(See Section I—para 2)

1. Name & Address of the importer.

2. Import Licence No. & date, and value thereof.

3. Date and value of orders placed against the above import licence.

4. Where orders have not been placed for the full value of the import licence indicate the phasing of balance ordering.

5. Confirmation whether the contract documents have been/are being sent to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in accordance with the relevant stipulation in the licensing conditions.
[No. & date of communication(s) quoted].

6. Details with value of letter(s) of credit opened in favour of the U.K. supplier(s).

7. **Phasing of Payment (in £s. and Rs.)**

A. **Actual payments made to U.K. suppliers**

(i) April 1972 to September 1972.

(ii) October 1972 to March 1973.

(iii) } (and so on)
(iv) }

B. **Estimates of payments to be made to U.K. suppliers:**

(i) April 1973 to September 1973.

(ii) October 1973 to March 1974.

(iii) April 1974 to September 1974.

(iv) October 1974 to March 1975.
(and so on)

8. Indicate specifically the portion of the import licence not covered by the orders and thus surrendered.

ANNEXURE VI

Report showing details of refunds received from Supplier/Shippers/Insurers (towards settlement of claims for short landings, damages etc.) in respect of imports from the U.K. under UK/India Capital Investment Loans, 1972.

(Only for claims settled in £ Sterling)

1. Name of importing firm.
2. Particulars of UK Credit.
3. No. & date of import licence.
4. Value of import licence.
5. Amount of refund received.
6. Nature of refund (give brief details).
7. Reference to the relative documents under which payment was made initially to the UK Suppliers (indicate name of Indian Bank and reference to their letter No. & date, forwarding the documents to the Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not, confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.
9. Remarks.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 मई, 1972

विषय.—यू०के/भारत पूंजी निवेश ऋण 1972, दिनांक 17–3–72 के लिए लाइसेंस शर्तें ।

सं० 68-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1972, दिनांक 17–3–72 के नये लाइसेंसों के जारी किए जाने के सम्बन्ध में जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे व्यवसायी की सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है ।

परिशिष्ट

यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1972, दिनांक 17–3–1972 के लिए लाइसेंस शर्त ।

1. **सामान्य शर्तें** :

आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1972" होगा लाइसेंस संख्या के अतिरिक्त इसमें कंडिका 2 में दिए गए विवरणों के रूप में नियतन संख्या होनी चाहिए और ये नियतन नीचे के किसी एक सिग्मेंट से सम्बन्धित होंगे :—

"(ए)" **सिग्मेंट**—(**55 लाख पौंड निजी क्षेत्र सिग्मेंट**)

जहां लाइसेंस पूंजीगत माल समिति द्वारा प्रदान की गई निकासी के आधार पर निजी क्षेत्र एकक को जारी किया जाता है ।

"(बी)" **सिग्मेंट**—(**55 लाख पौंड सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट**)

जहां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र एककों या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागीय प्रकमों के नाम में प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमोदन के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाता है ।

"(सी)" **सिग्मेंट**—(**10 लाख पौंड एन० एस० आई० सी० सिग्मेंट**)

जहां पूंजीगत माल समिति या लघु पैमाने उद्योग समिति द्वारा प्रदान की गई निकासी के आधार पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन०एस०आई०सी०) को लाइसेंस जारी किया जाता है ।

2. **परिचय उपसर्ग**.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक नियतन में परिचय उपसर्ग सी० आई० एल० प्रतीक होगा। जिसमें ऋण का संकेत होगा और उसमें एक पत्र लगा रहेगा जो ऋण के सिग्मेंट को प्रदर्शित करेगा (निजी क्षेत्र सिग्मेंट के लिए 'ए', सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट के लिए 'बी' और एन० एम० आई० सी० सिग्मेंट के लिए 'सी') जिस वर्ष में नियतन किया जाता है उसका संकेत करते हुए संख्या दी जाएगी ; और उसमें नियतन संख्या होगी, उदाहरण के लिए,

सी० आई० एल०/[ए०/72/14 (जी०ओ०आई०)]

अर्थात ऋण/सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम संख्या ।

यू० के० सरकार की पूर्व अनुमति से किए गए नियतन के मामले में या एन०एस०आई०सी० के मामले में प्रतीक (जी०ओ०आई०) परिचय उपसर्ग में नहीं रहेगा ।

एक नियतन–बहुविधि लाइसेंस.—चूंकि प्रत्येक नियतन के मद्दे एक से अधिक लाइसेंस हो सकता है, आयात लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी यह सुनिश्चय करेंगे कि नियतन से सम्बन्धित प्रत्येक में एक और परिचय चिह्न होगा उदाहरण के लिए,

सी० आई० एल० /ए० /72 (जी०ओ०आई०) –1

अर्थात् ऋण /सिग्मेंट /वर्ष /नियतन की क्रम संख्या –लाइसेंस की क्रम संख्या सी० आई० एल०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०)–2

एक लाइसेंस–बहुविधि संविदाएं:– चूंकि एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक खरीद आदेश/संविदा हो सकती है, लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि यह सुनिश्चय करे कि आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश में एक और परिचय चिह्न (1), (2) आदि दिया जाता है, यानी,

सी० आई० एल० /ए० /72/14/(जी० ओ० आई०)-1(1)

अर्थात् ऋण/सिग्मेंट/ वर्ष/ नियतन की क्रम संख्या–नियतन के मद्दे आयात

लाइसेंस की क्रम संख्या (आयात लाइसेंस के मद्दे आदेश की संख्या) सी० आई० एल०/ए०/72/14(जी०ओ०आई०)—1(2) आदि-आदि इसी तरह, इस नियतन के मद्दे द्वितीय लाइसेंस के मद्दे आदेश के लिए :—

सी० आई० एल०/ए० /72/14(जी०ओ० आई०)–2(1)

सी० आई० एल०/ए० /72/14(जी० ओ० आई०)–2(2) आदि आदि

3. **भुगतान की विधि**.—साख पत्र की स्थापना कर सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से संभरकों को भगतान की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन नीचे के खंड –4 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस प्रकार के आदेश दिए जाने के लिए विशेष प्राधिकरण सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय अर्थ-कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए भारतीय अभिकर्ता के किसी कमीशन के लिए भुगतान भारत स्थित अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । लेकिन इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे और ये, इसलिए लाइसेंस के लिए लिए जाएंगें

4. **वैध अवधि** .—लाइसेंस 12 महीने की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा । फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने के चार माह की अवधि के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिए । यदि आदेश वैध कारणों से प्रथम चार महीने के भीतर नहीं दिए जा सकते, लाइसेंस को लाइसेंस प्राधिकारी के पास चार माह की अवधि के भीतर या उसके तत्काल बाद जमा कर देना चाहिए "। इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देर क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो, उसे भी बता देना चाहिए। जहां जरूरत होगी, इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय, (अर्थकार्य विभाग) के साथ परामर्श कर के पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

5. **आवेश दिया जाना** .—इसे नोट कर लेना चाहिए कि जब तक चार माह के भीतर आदेश देने का काम पूरा नहीं कर लिया गया हो या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बढ़ाई गई अवधि और विशेष प्राधिकरण (उपर्युक्त कंडिका 3 में संकेत किए गए के अनुसार) प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्वीकृति नहीं देंगे ।

6. **आदेश देने के आधार कैश** .—आदेश नकद के आधार पर दिए जाने चाहिए और सभी भुगतान लाइसेंस की समाप्ति के एक माह के भीतर पूरे किए जाने चाहिए । अकेले भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान हो जाने पर अवश्य की जानी चाहिए । किसी भी प्रकार की साख सुविधा नहीं दी जाएगी ।

2. **आदेशों/ संविदाओं में शामिल की जाने वाली या अन्यथा रूप से ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें** :—

1. जब फर्म आदेश / संविदा दी जा रही हो कि यू० के० संभरकों को ही दी जानी चाहिए (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आफ आइलैंड तथा आइल आफ मैन भी शामिल हैं), लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्राधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित है या होंगे । जब इस प्रकार के माल खरीदने से सम्बन्धित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू० के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है, उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी ।

2. **न्यूनतम यू०के० वस्तु का सुनिश्चय करनेकी आयातकों की जिम्मेवारी** :—यह विशेषरूपसे नोट कर लेना चाहिए कि यू० के० संभरक संविदाकर्ता को संभरण किए जाने वाले नान– यू० के० माल का यदि कोई हो तो, उसका संकेत करते हुए या रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के मामले में उनके यू० के० मूल के होने का संकेत करते हुए नीचे के खंड –3 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संविदा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे । यदि नान–यू० के० माल को संविदा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क के 20 प्रतिशत से ज्यादा होने की सम्भावना है, इसकी सूचना सहायता लेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को दी जानी चाहिए और पक्की संविदा केवल तभी की जानी चाहिए जब अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय सहमत हो जाता है ।

3. नीचे के खंड 3 और 5 में उल्लिखित प्रलेखन आवश्यकताओं को तथा नीचे के खंड 4 में निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा संविदा में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

3. **संविदा की अधिसूचना तथा तत्संबन्धि संशोधन :—**

1. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की तीन प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध 1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र [संलग्न अनुबन्ध-2 अथवा 2 (बी) के रूप में, जो भी उपयुक्त हो] की दो प्रतियों के साथ सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

2. वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और ऋण का नाम भली भांति लिख दिया गया है । लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के मदे प्रत्येक संविदा में परिचय उपसर्ग अवश्य दे देना चाहिए ।

उदाहरण के लिए :—यदि आयात लाइसेंस का परिचय उपसर्ग सी० आई० एल०/ए०/72/14 (जो० ओ० आई०)—1 है, तो इस लाइसेंस के अन्तर्गत पहली संविदा के लिए परिचय उपसर्ग सी० आई० एल० /ए० /72 /14 (जी० ओ० आई०)—1(1) होना चाहिए इस लाइसेंस के मदे दूसरी संविदा के लिए सी० आई० एल०/ए०/72/14(जी०ओ०आई०)—1(2) आदि होना चाहिए तथा जब लाइसेंसधारी वित्त मंत्रालय को संविदाएं अग्रसारित कर रहा हो तत्संबन्धी अद्यतन लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई संविदाओं की संख्या के तत्सम्बन्धी ब्यौरे अवश्य दिए जाने चाहिए । इन ब्यौरों की शुद्धता के लिए आयातक ही एक मात्र रूप से जिम्मेदार होगा ।

3. किसी समय संविदा में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्सम्बन्धी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को संविदा के लिए संशोधित प्रतियां को तथा संशोधित "संविदा प्रमाण पत्र" को वित्त मंत्रालय को भेज दे ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को दे सकें ।

4. किसी मामले में यू० के० संभरक के भारतीय अभिकर्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० संभरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टार्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा । ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू० के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा की गई, यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हैं) भेज दिया जाना चाहिए ।

4. य० के० संभरकों को भुगतान—साख पत्र की प्रतियां :—

1. लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह यू० के० संभरकों के नाम में यू० के० से संबद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु सहायता लेखा नियंत्रक (आर्थिक सहायता लेखा शाखा), अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करे ।

2. प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन अनुबन्ध 3 में दिए गए रूप में किया जाना चाहिए और उसके साथ फर्म आदेश की तथा यू० के० संभरक द्वारा पूर्ण किए गए संविदा प्रमाण-पत्र की एक प्रति होनी चाहिए । पत्र अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2 (बी) (जो भी उचित हो) में निर्धारण किए प्रपत्र में होना चाहिए ।

3. यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग आयातक और संबद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत बैंक को अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा । वित्त मंत्रालय के प्राधिकरण आदेश में भी खरीद आदेश अर्थात् सी आई एल/ए/ 72/14 (जी ओ आई)-1(1) के परिचय उपसर्ग का उल्लेख होगा । परिचय उपसर्ग का स्थापित किए जाने वाले साख-पत्र में तथा साख-पत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी प्रलेखों में भी संकेत होना चाहिए । वित्त मंत्रालय सम्बन्ध यू० के० बैंक को भी परामर्श देगा । लेकिन, यू० के० बैंक को दिया गया परामर्श सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को उनके प्राधिकरण की प्रति के साथ भेजा जाएगा । उन्हें साख-पत्र खोलते समय य० के० बैंक को संप्रेषित करना चाहिए ।

4. प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर साख-पत्र खोल दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण - पत्र समाप्त हो जाएगा । साख-पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके अधीन लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतकिरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । भुगतान के बाद, लेखों के प्रेषण करने में सम्बन्धित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए और इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० में संबद्ध बैंक लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को प्रारम्भिक रुप में उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति भारत के उस बैंक से प्राप्त करेगा जिसमें साख-पत्र की स्थापना की गई थी । साख-पत्र खोलने के संबन्ध में भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक की अनुदेशों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्णरुपेण अनुरुप होना चाहिए । किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए ।

5. साख-पत्र में स्पष्ट रुप से ऋण शीर्षक, नियतन संख्या और अन्य विवरण जैसे दिए गए नियतन के अन्तर्गत संविदा लाइसेंस की क्रम संख्या और साख-पत्र में यथा संकेतिक आयात आदि से संबन्धित संविदा की क्रम संख्या को चिह्नित किया जाना चाहिए ।

5. प्रलेखन

1. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करने समय यू०के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है।

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य विधि से तैयार की गई प्रतियां के साथ मूल बीजक। (बीजक में आयातक का नाम और पता संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, सभी व्यापार छूटों) को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत वितरण का आधार या लागत बीमा भाड़ा और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिसमें वितरण या नौवहन या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए।

(2) महासागर या चार्टर लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल रसीद (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो।)

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाणपत्र की चार प्रतियां (ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में इन की आवश्यकता नहीं जिन के लिए अनुबन्ध-2 (बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण पत्र (रसायनिक) की पूर्ति की गई है)। इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय पूर्ण करने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण - पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए।

(4) अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2(बी) में निर्धारित संविदा प्रमाण - पत्र की तीन प्रतियां।

प्रत्येक प्रलेख में ऋण शीर्षक परिचय उपसर्ग, आयात लाइसेंस के ब्यौरे तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख प्राधिकरण - पत्र के विवरण को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए।

2. जब साख-पत्र खोला जा रहा हो तो भारत में प्राधिकृत विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक आयातक की ओर से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए प्रलेखन की उपयुक्त जरूरतों को नोट कर लिया गया है तथा यू० के० संभरकों द्वारा उसका अनुपालन किया गया है, साख -पत्र में आवश्यक शर्तों को शामिल करने पर ध्यान देगा।

3. संभरक को भुगतान किए जाने के बाद यू०के० का संबंधित बैंक भारतीय संबंध बैंक को प्रलेखों का मूल परक्राम्य सेट को वायुमार्ग से भेजेगा। भारतीय बैंक, बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के०संभरकों को किए गए भुगतान को परेषण द्वारा यू० के० बैंकों को प्रतिपूर्ति करेगा। भारतीय बैंक द्वारा आयातकों से इस प्रकार की विदेशी मुद्रा परेषणों की तत्सम्बन्धी समतुल्य रुपये में वसूली दोनों के बीच हुई सहमति से तय की गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी। यू० के० बैंक भी पूर्ण किए गए भुगतान प्रमाण-पत्र की एक अपरक्राम्य प्रति सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा।

6. **यू० के० ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्ति के लिए भारत सरकार को सक्षम बनाने में भारतीय बैंक की जिम्मेदारी**

बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को स्टर्लिंग भुगतानों के यू० के० बैंक में प्रतिपूर्ति करने के बाद, भारतीय बैंक को चाहिए कि वह 10 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेखों को सहायता लेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजना चाहिए ताकि भारत सरकार यू० के० ऋण के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम ~~हो सके।~~ भेजे जाने वाले प्रलेख ये है :—

1. यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध -2 (बी) (जैसा उचित हो) के रूप में संविदा-प्रमाण-पत्र, तथा सम्बन्धित साख-पत्र की एक प्रति ।

2. यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध-4 में दिए गए के अनुसार भुगतान **प्रसारण-पत्र** ।

3. खंड-5 में उल्लेख किए गए के अनुसार बीजक तथा लदान बिल । जहां संविदा के अन्तर्गत यू० के० संभरक को एक से अधिक भुगतान किया जाना है, संविदा प्रमाण - पत्र तथा साख-पत्र की एक प्रति भेजने की आवश्यकता केवल प्रथम भुगतान के लिए है तथा आगामी भुगतानों में केवल भुगतान प्रमाण - पत्र भेजने की आवश्यकता है और बीजकों को वित्त मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है, परिचय उपसर्ग को संबंधित संविदा प्रमाण - पत्र तथा साख-पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिए ।

7. **आयात लाइसेंस के उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट**

अनुबन्ध-5 में यथा संलग्न अनुबन्ध में, लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थितियों को प्रदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट प्रत्येक माह के 7 दिनों के पहले या बाद में इनको भेजनी चाहिए :— (1) सहायता लेखा नियंत्रक, (सहायता शाखा), वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (2) श्री जी० एल० ग्रोवर, उप-निदेशक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, नार्थ ब्लाक सेक्रेटेरिएट, नई दिल्ली और (3) आद्यौगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (आद्यौगिक विकास विभाग), पूंजीगत माल समिति अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

8. **विविध**

1. **विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक**.— आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्त हो जो कि संभरक पर सौदे का पालन करने में प्रभाव डाले, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संभरक को इस से अवगत करा दे ।

2. **यू० के० संभरकों से वापसी**.—यदि संभरक, पोत वणिक तथा बीमाकर्ता से लाइसेंसधारी द्वारा किसी प्रकार की धन वापसी प्राप्त होती है और जैसे ही ये धनराशि प्राप्त की जाती है, तो प्राप्त धनराशि का पूरा विवरण प्रदर्शित करते हुए तत्सम्बन्धी अन्य विवरणों के साथ ऊपर के खंड -6 में दिए गए पते पर वित्त मंत्रालय को भेजना चाहिए ।

3. **विवाद** ——यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच या किसी प्रकार की जिम्मेदारी जोकि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच हो, यदि उसमें किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

4. **भविष्य के लिए अनुदेश**.——आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत - सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के लिए सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, आदेशों या अनुदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

5. **उल्लंघन या अतिक्रमण**.——उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमाण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कारवाई की जाएगी ।

9. **शीर्षकों के अनुसार अनुबन्धों की सूची** :

अनुबन्ध 1	.	संविदा की अधिसूचना
अनुबन्ध 2	.	संविदा प्रमाण पत्र ।
अनुबन्ध 2 बी	.	संविदा प्रमाण-पत्र (रसायनिक)
अनुबन्ध 3	.	साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप
अनुबन्ध 4	.	भुगतान प्रमाण-पत्र
अनुबन्ध 5	.	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट ।
अनुबन्ध 6	.	धन वापसी की प्राप्ति के सम्बन्ध में रिपोर्ट ।

अनुबन्ध 1

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1972

संविदा की अधिसूचना

सेवा में,

क्राउन एजेन्ट

संविदा की अधिसूचना संख्या.....

संविदा के निम्नलिखित ब्यौरे हैं जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा :—

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम तथा पता ।
2. संविदा का दिनांक ।
3. खरीददार का नाम ।
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा,/अथवा कार्य अथवा सेवायें ।
5. संविदा का मूल्य ।
6. भुगतान की शर्तें ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुबन्ध 2

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1972

परिचय प्रत्यय संख्या

संविदा प्रमाण-पत्र

संविदा का ब्योरा

भारतीय आयात लाइसेंस की संख्या

1. संविदा की तिथि 2. संविदा संख्या

3. खरीददार को दिये जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण.....

.....

यदि कई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिये ।

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए) ।

पौंड

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य है

(यदि संविदाकर्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी गई सूचना निर्माण-कर्ता से प्राप्त करनी चाहिये ।

5. जो माल यू०के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है, तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण में उपयोग किए गए संघटकों का प्रतिशत :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण.....

6. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे तांबा, अदह, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गई है तो उनका उल्लेख करें :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य.....

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण.....

यदि सेवायें प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खण्डों की भी पूर्ति की जानी चाहिये :—

.....

7. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बतायें :—

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभियन्ता के खर्चे आदि).....

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता

8. उपर्युक्त कंडिका 5, 6 या 7 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, टिप्पणी दें

.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार मुझे प्राप्त है। मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 5, 6, 7 और 8 में विशिष्टिकृत को छोड़कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल की नहीं हैं, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित

पद जिस पर वह है.....

संविदाकर्ता का नाम व पता

.....

दिनांक

टिप्पणी : इस घोषणा के लिये यू० के०, दि चेनल आइलैण्ड और आल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध 2 बी

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1972

1. संविदा की तिथि..... संविदा संख्या..... भारतीय आयात लाइसेंस सं०..... दिनांक

2. खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण	पौंड मूल्य	यू० के० दर-सूची वर्गीकरण सं०	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है
टिप्पणी ए)		(टिप्पणी बी)	(टिप्पणी सी देखिये हां या नहीं लिखिये)
.....			
.....			
.....			

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल /अनुमानित/संविदा कीमत स्टर्लिंग ... पौंड में ।

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखी संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार मुझे प्राप्त हैं और उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित

पद जिस पर है

संविदाकर्ता का नाम और पता.....

दिनांक.....

टिप्पणी

ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा सम्बन्धित उत्पादों के लिये किया जाना है जिनमें अधिकतर को यू० के० दर सूची के अध्याय 15, 25, 28–35 तथा 37–40 के उपयुक्त उप-शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

बी. देखिये :

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साइज टैरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रेसल्स नामावली एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण ।

सी. (1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशी माल से तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपयुक्त ई०एफ०टी०ए० विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशत: आयातित माल प्रयोग किया जाता है ।

(2) एच० एम० एस० ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि. ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिये इस पर बल दिया जाता है कि निकासी प्रतिशत निकस लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां-कहीं शब्द क्षेत्र मूल आते हैं उनका तात्पर्य केवल 'यू० के० मूल' से है ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिये "मूल माल की सूची" (ए० एफ० टी० ए० आर० संग्रह का सूचक–3) लागू नहीं होती है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिये विशेषक विधि सूचीबद्ध नहीं है तो क्राउन एजेन्ट, सी एस 4 विभाग, 4 मिल बैंक लन्दन एस० डब्ल्यू० आई० से सलाह ले लेनी चाहिये ।

डी. इस घोषणा के लिये यू० के० चेनल आईलैण्ड तथा आईल आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध—3

(साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

सेवा में,

सहायक लेखा नियंत्रक,
(आर्थिक सहायता लेखा शाखा),
वित्त मंत्रालय
(अर्थ कार्य विभाग)
जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

विषय : यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण, 1972 के अन्तर्गत यू० के० से

..... का आयात/

.....

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिए यू० के० से..... का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें हमारे बैंकरों के माध्यम से आप के द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सकें :—

1. (क) आयात लाइसेंस का विवरण :—

संख्या तथा दिनांक मूल्य (रु० में).....तिथि जब तक वह वैध है ।

(ख) लाइसेंस में दिये गये के अनुसार आबंटन संख्या.....

(ग) लाइसेंस के अन्तर्गत की गई संविदाओं की संख्या

(घ) उस संविदा की क्रम संख्या जिससे यह आवेदन पत्र सम्बन्धित है ।

2. लाइसस का स्टर्लिंग में मूल्य

(प्रति पौंड 18.968 रुपये की दर से परिकलित)

3. यू० के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुये दिये गये आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिये प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और

उसके लिये यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धन राशि/राशियां ।

4. उस भारतीय बैंक का नाम जो साख पत्र खोलेगा ।

5. सम्बद्ध यू० के० बैंक का नाम जिसमें साख पत्र स्थापित किया जाना है ।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता)

अनुबन्ध 4

यू० के० /भारत पूंजी निवेश ऋण, 1972

भुगतान प्रमाण-पत्र

भारतीय आयात लाइसेंस संख्या.....

परिचय प्रत्यय संख्या

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान, वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ लगी हैं, बाकी हैं या नीचे लिखे गये संविदाकर्ता और.....
..... खरीदार के बीच संविदा संख्या
..... तारीख के सम्बन्ध में बाकी पूरे किये गये जाने वाले हैं, और संविदा-प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण, के अनुसार हैं जो तारीख को उक्त संविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षरित है ।

संविदाकर्ता के बीजक की संख्या	तारीख	धनराशि पौंड	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका 1 में जो धनराशियां विशिष्टिकृत की गई हैं, वे संविदा प्रमाण-पत्र की कंडिका 5, 6 अथवा 7 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती हैं ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्ता के नाम पर इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षर
पद जिस पर वह है
..... के लिये और के नाम पर
संविदाकर्ता का नाम व पता.....
.....
तारीख

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिये यू० के० / चैनल आफ आइल्स और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध 5

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1972 के सम्बन्ध में उपयोग किए जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

(प्रत्येक आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से भेजा जाना है)

(जहाँ एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक संविदायें हो तो प्रत्येक संविदा के लिए अलग अलग जानकारी भेजी जानी चाहिये)

परिचय प्रत्यय.....

(खण्ड–1–पैरा 2 देखें)

1. आयातक का नाम और पता

2. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और उसका मल्य

3. उपर्युक्त आयात लाइसेंस के लिए किए गए आदेश का दिनांक और यूल्य

4. जहां आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिये आदेश नहीं दिए गए हैं वहां शेष आदेश देने की अवस्था का संकेत करें ।

5. क्या लाइसेंस शर्तों में सम्बद्ध अनुबन्ध के अनुसार संविदा दास्तावेज, सहायता लेखा नियंत्रक, अर्थ-कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भज दिए गए हैं / भेजें जा रहे हैं, इसका पुष्टीकरण । (कोट किए गए पत्र (पत्रों) की संख्या और दिनांक)

6. यू० के० संभरक (संभरकों) के हक में खोले गये साख पत्र (पत्रों) के मूल्य के साथ ब्यौरे ।

7. भुगतान की अवस्था (पौंड तथा रुपयें में)

ए. यू० के० संभरकों का किए गए वास्तविक भुगतान

1. अप्रैल, 1972 से सितम्बर, 72 तक
2. अक्तूबर, 72 से मार्च, 73 तक
3.
4.

(और इसी तरह आगे)

बी. यू० के० संभरकों को किए गए जाने वाले भुगतानों का प्राक्कलन

1. अप्रैल, 73 से सितम्बर, 73 तक
2. अक्तूबर, 73, से मार्च, 74 तक
3. अप्रैल, 74 से सितम्बर, 74 तक
4. अक्तूबर, 74 से मार्च, 75 तक

(और इसी तरह आगे)

8. आयात लाइसेंस में ऐसे भाग का संकेत करें जो आदेश में शामिल नहीं किया गया और उसे अभ्यर्पण कर दिया गया है ।

हस्ताक्षर

अनुबन्ध 6

यू० के० /भारत पूंजी निवेश ऋण, 1972 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के सम्बन्ध में संभरक/पोतवाणिक।बीमाकर्ता द्वारा (अल्पावतरण) क्षति इत्यादि के लिए दावे का निपटारा करने के लिये प्राप्त धनवापिसियों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाते हुये एक रिपोर्ट)

पौण्ड स्टर्लिंग में केवल निपटाये गये दावों के लिए.....
(निपटाये गये दावों के लिये)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम
2. यू० के० साख के ब्यौरे
3. आयात लाइसेंस की सं० और दिनांक
4. आयात लाईसेंस का मूल्य
5. प्राप्त धनवापिसी की राशि
6. धन वापिसी किस प्रकार की थी (संक्षिप्त ब्यौरा दें)
7. सम्बद्ध दास्तावेज जिसके अन्तर्गत यू० के० संभरकों को प्रारम्भिक भुगतान किए गए थे उनका संदर्भ (वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रेषित करते हुये भारतीय बैंक की पत्र संख्या और दिनांक के संदर्भ का संकेत करें)
8. क्या प्राप्त की गई धनवापिसियां माल के अदला बदली के लिए प्रयोग की जानी हैं, या नहीं, यदि नहीं तो पुष्टि करें कि राशि वास्तव में प्राप्त कर ली गई है और उसे रुपये में भुना लिया गया है।
9. टिप्पणी

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ॥

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ॥

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972